समयबद्ध

संख्या: २५८ /चालीस-2019-18(1)/2019

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग   लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2019

विषय: वर्ष 2019-20 के लिये "गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया "गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार" दिये जाने विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1340/चालीस-2001-15(10)/99, दिनांक 03 अगस्त, 2001 द्वारा पूर्व में परिचालित किये गये मार्गदर्शी सिद्वान्त का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की वेबसाइट https://nationalintegdep.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। मार्गदर्शी सिद्वान्त के अनुसार प्रश्नगत पुरस्कार प्राप्त करने की अर्हताएं निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:-

क- भारत का मूल नागरिक हो।

ख- उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर पुरस्कार पर विचार किये जाने के वर्ष में सामान्यतया निवास करता रहा हों,

ग- मानवाधिकार, सामाजिक न्याय व राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान रहा हो।

घ- गुरू गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार योजना के अधीन पूर्व में इस राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार न दिया जा चुका हो।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निवासरत व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति, जिसने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस हेतु पूर्णतः समर्पित रहे हों, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गुरु गोविन्द सिंह जी